

No. HQ/PIO/RTI/230/15

Date: 03.08.2015

Sh. Ramprakash Aggarwal,
 S/o Sh. Jhabbulal Aggarwal,
 Gudihai Bazar, Hathras, U.P..



Sub: Information under RTI Act- 2005.

Ref.: Your application dt. 01.06.2015, received in this office on 05.06.2015.

संबंधित विभाग से प्राप्त सूचना निम्नलिखित है:-


क्र.सं.	मांगी गई सूचना	उपलब्ध सूचना
1.	आपके Contractor TATA-ALDESA के द्वारा Bhaupur Khurja के अधीन कराये जा रहे कार्य में खरीदी जा रही Blanket एवं Ballast मैटेरियल की खरीद की डिटेल्, खरीद से सम्बन्धित स्टाफ मय मद सहित।	डी.एफ.सी.सी.आई.एल ने APL 1 यह कार्य EPC (Engineering Procurement Construction) प्रणाली के तहत Tata-Aldesa (JV) को कार्य करने हेतु तथा SAI-Typsa को निरीक्षण हेतु दिया गया है। विभिन्न कांटेक्टर सब कांटेक्टर तथा वेंडर और सब वेंडर यह कार्य का सम्पादन करते हैं। अतः यह जानकारी डी.एफ.सी.सी.आई.एल. के कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।
2.	Purchase के साथ सलंगन की गई रायल्टी Slips का नम्बर, quantity, खनन पट्टे का नाम एवं पता सहित।	डी.एफ.सी.सी.आई.एल ने APL 1 यह कार्य EPC (Engineering Procurement Construction) प्रणाली के तहत Tata-Aldesa (JV) को कार्य करने हेतु तथा SAI-Typsa को निरीक्षण हेतु दिया गया है। विभिन्न कांटेक्टर सब कांटेक्टर तथा वेंडर और सब वेंडर यह कार्य का सम्पादन करते हैं। अतः यह जानकारी डी.एफ.सी.सी.आई.एल. के कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।



3.	आपके द्वारा Blanket एवं Ballast मैटेरियल की जाँच किस-किस Chainage पर किस-किस अधिकारी के द्वारा कब की गई है और जाँच में मैटेरियल as per specification पाया गया और अगर नहीं पाया तो आपके द्वारा कोई कार्यवाही की गई या नहीं। मैटेरियल टेस्टिंग की रिपोर्ट की छायाप्रति के साथ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	इस परियोजना में भिन्न-भिन्न पदों पर कई अधिकारी द्वारा निरीक्षण का रिकार्ड भिन्न-भिन्न कार्यालयों में उपलब्ध है। कृपया Chainage Wise सुनिश्चित करें की आपको किस Chainage के रिकार्ड की आवश्यकता है, ताकि आपको रिकार्ड उपलब्ध कराया जा सके।
4.	Amended GE 0014 Specification की छायाप्रति जिसके अनुसार आप द्वारा कार्य कराया जाना चाहिये।	Amended GE 0014 specification मानक R.D.S.O. लखनउ द्वारा जारी किया है, अतः यह जानकारी R.D.S.O. लखनउ से प्राप्त की जा सकती है।
5.	Supreme Court के आदेशानुसार 10 टायर वाले ट्रक से केवल 15 टन माल परिवहन किया जा सकता है इस प्रकार ट्रकों की संख्या तथा उनके द्वारा परिवहन की गयी Quantity की details दिलाने का कष्ट करें जिससे यह मालूम हो सके कि कहीं Supreme Court के आदेशों का उल्लंघन कर Overload ट्रकों से माल परिवहन तो नहीं किया गया है।	डी.एफ.सी.सी.आई.एल ने APL 1 यह कार्य EPC (Engineering Procurement Construction) प्रणाली के तहत Tata-Aldesa (JV) को कार्य करने हेतु तथा SAI-Typsa को निरीक्षण हेतु दिया गया है। विभिन्न कांटेक्टर सब कांटेक्टर तथा वेंडर और सब वेंडर यह कार्य का सम्पादन करते हैं। अतः यह जानकारी डी.एफ.सी.सी.आई.एल. के कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

आवेदन के साथ आपने मूल्य रु. 500/- के अतिरिक्त आईपीओ जमा किए थे। अतः आपको प्रति आईपीओ मूल्य रु.20/-, आईपीओ सं. 18G 238922 से 18G 238946 तक (कुल मूल्य रु.500/-) वापिस किए जा रहे हैं।

संलग्नक:- 25 आईपीओ(कुल रु. 500/-)


(S.K. Panda)
DGM/PIO

Copy to: CPM/Tundla